## खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक T.P. 30 / न0 नि0

सीताराम साव पिता-स्व0 वजीर साव,
श्री राजेश कुमार पटवारी पिता-स्व0 प्रभुदयाल पटवारी,
श्री पवन कुमार अग्रवाल पिता-स्व0 सत्यनारायण अग्रवाल एवं
श्री श्री हेमलाल पंडित पिता-स्व0 विजय कुमार,
श्यामनगर, भूली, धनबाद।

धनबाद, दिनांक 10/4/15

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केष न0 बी0डी0 406/14-15 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 10.9.14 के संबंध में।

महाषय,

217, 239, 289।।।

आपके आवेदन, दलील संख्या 3032, 3033, 3886 दाखिल खारिज अभिलेख सख्या 14-15 ....... जमाबंदी संख्या 2075, 2069, 2088 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, षपथ पत्र एव Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी0 डी0 केश न0 406/14-15 के नक्शा की स्वीकृति प्रबंध निदेषक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेषानुसार सूचित करना है कि नवाडीह-02 मौजा अन्तर्गत खाता न0 16 प्लॉट न0 1284 रकबा 9285 वर्गफीट भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री डॉ0 अशोक कुमार की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शो के अनुसार अधिकतम 2 वर्षो में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशाक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिशिचत करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनिमय के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजके लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रष्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थपित नही होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में ...... कुल रू0 66,200/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

14/04/15

साहचर्य नगर निवेशक
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

10/4/15